

## न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 2/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड  
 दायरा दिनांक: 7.1.2016  
 अन्तर्गत धारा: 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

### उनवान

1. भैरूलाल पुत्र कंवरलाल
2. अमरीबाई विधवा पत्नी कंवरलाल जाति चमार निवासीगण गेलाना तहसील पिडावा जिला झालावाड।

... अपीलार्थी

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड।
2. नानूराम
3. झमनाबाई  
पिसरान रामा अकवाम चमार सकनाय गैलाना तहसील पिडावा जिला झालावाड।
4. मेहताबबाई पुत्री रामा (मृतक) कायम मुकामान—  
4/1 सीताराम पुत्र रामलाल माता मेहताबबाई  
4/2 सुमित्राबाई पुत्री रामलाल माता मेहताबबाई जाति चमार निवासीगण गेलाना तहसील पिडावा जिला झालावाड।

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री अरुण कुमार जेन अभिभाषक अपीलार्थी  
 श्री हरिश शर्मा अभिभाषक रेस्पोंड

:::निर्णय:::

दिनांक 25.10.2017



अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 85/2009 अन्तर्गत धारा 136 ले० रेवेन्यू एक्ट बउनवान राज० सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा बनाम भेरू पिस. कंवरलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 29.9.2011 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि राज० सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट का पेश कर ग्राम पुरा तहसील पिडावा की आराजी ख० नं० 20 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भू प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान सिवायचक भूमि पर बिना किसी आधार के गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने पर राजस्व गुप-6 विभाग राज० जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं. प 9 (225) राज-6/07/38 दिनांक 20.11.07 अनुसार "भू प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान सिवायक चंक भूमि पर बिना किसी आधार के गैरखातेदारी मे दर्ज कर प्रकरण मे नियमन की कार्यवाही कर खातेदार किया जाना नियमानुसार नहीं होने" से दर्ज गैरखातेदारी की प्रविष्टि को हटाये जाने का अनुरोध किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सरकार दर्ज करने का अनुरोध किया। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर प्रा० पत्र खारिज कर वादग्रस्त आराजी मे गैरखातेदारी की प्रविष्टि हटाकर सिवायचक दर्ज करने का दिनांक 29.9.2011 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय मे पेश कर जेरअपील निर्णय नामान्तरकरण विधि के सिद्धान्तो के विरुद्ध तथा पत्रावली संग्रह सार के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होना वर्णित करते हुये अभिलिखित किया कि 45 वर्षो से पूर्वजो के समय से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। नियमन की कार्यवाही करके उन्हे उक्त आराजी पर गैरखातेदारी अधिकार दिये गये है अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी गैरखातेदारी मे आने के बाद आराजी का आवंटन धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसरण मे किया जबकि गैरखातेदारी मे आने के उपरांत इस अधिनियम के प्रावधान खत्म हो जाते है व उनका स्थान राज०

२५.१०.२०१७

हस्तकारी अधिनियम 1955 ले लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई। रेस्पो0 2, 3, 4/1, 4/2 प्रकरण में उपस्थित नहीं होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ख0 नं0 20 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा पर अपीलांट एवं उसके पूर्वजों का 40 वर्षों से नियमित कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरकार के जिस परिपत्र के परिपेक्ष्य में जेरअपील निर्णय पारित किया है वह प्रकरण में प्रदर्शित नहीं है। ओपन एण्ड होस्टाईल पजेशन होने के कारण नियमन की कार्यवाही करके अपीलांट को उक्त आराजी पर गैरखातेदारी अधिकार दिये गये हैं ऐसी स्थिति में तहसीलदार पिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 प्रत्येक्ष या परोक्ष रूप से मेनटेनेबल नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर जेरअपील निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील स्वीकार की जावे।
- 4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में बताया कि राजस्व ग्रुप-6 विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र सं. प 9 (225) राज-6/07/38 दिनांक 20.11.07 अनुसार "भू प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान सिवायक चक भूमि पर बिना किसी आधार के गैरखातेदारी में दर्ज कर प्रकरण में नियमन की कार्यवाही कर खातेदार दर्ज किया जाना नियमानुसार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की गैरखातेदारी की प्रविष्टि को हटाये जाने का जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नहीं है।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है निर्णय की जानकारी 10.10.2011 को होने पर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश करते हुये इस आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया अतः न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 6 पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट सं0 2022-41 के दौरान बिना किसी आधार के अपीलार्थी के गैरखातेदारी में दर्ज की जाने से राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा के धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व ग्रुप-6 विभाग राज0 जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं. प 9 (225) राज-6/07/38 दिनांक 20.11.07 के परिपेक्ष्य में गैरखातेदारी की प्रविष्टि हटाने का अनुरोध करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य में जेरअपील निर्णय पारित किया है। चूंकि भू प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान सिवायक भूमि पर बिना किसी आधार के गैरखातेदारी में दर्ज कर प्रकरण में नियमन की कार्यवाही कर खातेदार दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइश नहीं पाते हैं। फलतः अपील अपीलार्थी सारहीन/बलहीन होने से खारिज योग्य है।
- 7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
- 8 निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )  
अतिरिक्त न्यायाधीश, आयुक्त  
कोटा